न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 07 /2018

प्रार्थी बनाम **विप्रार्थी**

तहसीलदार,पचपदरा 1. श्रीमति ढेलकंवर पत्नि दलपतसिंह कौम राजपूत निवासी टापरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66.,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांक :– 29.01.2018

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आशय का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गरत गिरदावरी ग्राम **टापरा** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड में दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **टापरा** के खसरा न0 861/825 में रकबा 1.00 बीधा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे चल रहे रास्ते/ डामर सडक का रास्ता को संबधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे वर्णित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

२३। उक्त प्रकरण को दर्ज किया जाकर विप्रार्थीगण को जारी सम्मन बाद तामिल के प्राप्त हुआ। विप्रार्थीनी उपस्थिति । विप्रार्थीनी ने कोई एतराज पेश नही किया।

हल्का पटवारी/सरपंच ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा किसी प्रकार की आपति प्रकट नही की है। पटवारी हल्का मौजा **टापरा** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' मे अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी' बिन्दु तक खसरा न0 861/825 में रकबा 1.00 बीधा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड मे सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीम करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगण ने भी इस पर कोई ऐतराज नही किया है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अकन/ तरमीम नक्शा लट्‌टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावें।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा **टापरा** मे अवस्थित खसरा न0 861/825 में रकबा 1.00 बीधा के बिन्दु 'ए' से 'बी' में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश दिनांक 29.01.2018 को सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी,
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner